न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 09/19 **निर्णय दिनांकः– 13–01–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2019/00211)

1. औंकारसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी सुई तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक शून्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

न्यायालय राजस्व अपील... बीकानेर

उपस्थिति :–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 24–07–1971 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर ग्राम सुई के खसरा नम्बर 642 में तादादी 50 बीघा भूमि बारानी का आवंटन वर्ष 1971 को किया गया था। वादगत् भूमि का नवीनीकरण अदालत मातहत द्वारा किया जाता रहा है। अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे काश्त में है। जिसका नवीनीकरण सवंत् 2038 तक किया गया। चकबन्दी के पश्चात् नवीनीकरण नहीं किया व टीसी से पुख्ता की कार्यवाही की जाती है। अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का

टीसी आवंटन खारिज किये बिना उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को कर दिया गया। जबकि उक्त आवंटन से पूर्व अदालत मातहत को केवल मात्र यह देखना था कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित है अथवा नहीं? तथा उसका पट्टा खारिज किया गया है अथवा नहीं? दोनों की स्थितियॉ अपीलांट के पक्ष की है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के टीसी आवंटन को निरस्त किये बिना उक्त भूमि का अन्य को आवंटन किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज ना होकर अन्य भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश बिना दिनांक का एकतरफा तौर पर वादग्रस्त भूमि के टीसी आवंटी को सूचना व नोटिस दिये बिना पारित किया गया है। अपीलांट् एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे कानूनी प्रक्रिया की समयबद्व जानकारी रखें। ऐसी स्थिति में अपीलांट को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण निर्णय की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

मामलें में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को दिनांक 24—07—1971 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से ग्राम सुई के खसरा नम्बर 642 की 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट को आवंटित उक्त राजकीय भूमि का अस्थाई आवंटन का नवीनीकरण नहीं किया तथा न ही खारिज किया तथा उक्त रकबा अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देने के कारण उसे पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की जाने की इस्तदुआ अपील के माध्यम से की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का परिपत्र क्रमांक प–5(ए)(24)उपनि/4604 दिनांक 08–11–2007 की प्रति प्रस्तुत की गई है। एक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में जिन अस्थाई कृषि पट्टाधारकों के अस्थाई आवंटन निरस्त हुए है या जिनके अस्थाई धारण की भूमि त्रूटिवश अन्य को आवंटित हो गई है, या किसी अन्य कारणवश राजकीय भूमि धोषित कर दी गई अथवा उस जगह पर वह भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अस्थाई पट्टा धारकों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर अथवा यदि पूर्व में आवेदन पत्र आमत्रित कर प्राप्त किये जा चुके है तो उन्हें सामान्य आवंटन में उपलब्ध शुद्ध रकबाराज भूमि में से वर्तमान में उनकी भूमि आवंटन की पात्रता की जॉच कर राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 7 में वर्णित प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

हस्तगत् प्रकरण में भी एक व्यक्ति को टीसी आवंटन किये जाने के उपरान्त उक्त आवंटन खारिज किये बिना ही भूमि अन्य को आवंटित करना नियम विरूद्ध था फिर भी आवंटन अधिकारी ने भूमि सिवायचक तथा खाली मानकर अन्य को आवंटित करने में घोर अनिमितता की है। पूर्व टीसी धारक को सुनवाई का मौका दिये बिना वही रकबा अन्य को आवंटित कर देने से पूर्व आवंटी तथा कब्जाधारक की पात्रता एवं दावा समाप्त नहीं माना जा सकता। आवंटन अधिकारी को चाहिए था कि वे अपीलांट/आवेदक की पात्रता के आधार पर अन्यत्र रकबा आवंटित करते परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के आवंटन पर किसी प्रकार का निर्णय लिये बिना एकतरफा तौर पर उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किये जाने का यह निर्णय एकतरफा एवं अविवेकपूर्ण है।

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट की पात्रता निरस्त करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–07–1971 निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की पात्रता को अन्य लम्बित आवंटन प्रकरणों में शामिल करते हुए तथा राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 9 से 14 के प्रावधानों व उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलांट के प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत निस्तारण करते हुए पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 13–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 12:06:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: